



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS
Plot No: 3/86-E, AIEMA Road, Ambattur Industrial Estate, Chennai-600058.
Phone No: 26250157 / 26250159. Fax No: 26250156 / 26250155
e-mail: nacin.chennai@gov.in



कार्यालय आदेश – 06/2025

विषय: यौन उत्पीड़न के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन कार्यस्थल पर महिलाओं (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 और उसके तहत जारी नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पहले के कुछ सदस्यों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/कार्यकाल पूरा होने के बाद, इस कार्यालय की आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन नीचे किया गया है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	समिति में भूमिका
1	श्रीमती मेघा गुप्ता	संयुक्त निदेशक	अध्यक्ष
2	श्रीमती. सी. शुभा शंकरी	उप निदेशक	सदस्य
3	श्रीमती अनुराधा रमेश	सहायक निदेशक	सदस्य
4	श्री. सुभाष पारीक बी.	अपर सहायक निदेशक	सदस्य
5	श्री. एन.एस. लोकेश्वरन	ए डीडीएल। सहायक। निदेशक	सदस्य
6	श्रीमती डी. सुगन्या	ए डीडीएल। सहायक। निदेशक	सदस्य
7	श्रीमती सी.जे. सेतु लक्ष्मी	प्रोग्राम लीड-वाईआरजी फाउंडेशन; उपाध्यक्ष: सुनीति सोलोमन फाउंडेशन	सदस्य-बाह्य

2. समिति कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटेगी और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट समिति के कार्यों का निर्वहन करेगी।

3. उक्त अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ कोई भी पीड़ित महिला लिखित रूप में, घटना की तारीख से 3 (तीन) महीने की अवधि के भीतर आंतरिक समिति को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। और घटना की तारीख से 3 (तीन) महीने की अवधि के भीतर और घटनाओं की एक श्रृंखला के मामले में, अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर।

4. समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के नियम 14 के साथ पठित धारा 21 के संदर्भ में एक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे अतिरिक्त महानिदेशक, नासिन, चेन्नई को प्रस्तुत करेगी।

5. समिति के सदस्य 3 वर्ष पूरे होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

यह अपर महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सहायक निदेशक

29-07-2025

प्रतिलिपि ,

1. महानिदेशक, नासिन, पाल्समुद्रम।
2. अपर महानिदेशक, नासिन, चेन्नई ।
3. समिति के सभी सदस्य।

OFFICE ORDER No.06/2025

Sub: Constitution of Internal Complaints Committee under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.

In exercise of the powers conferred under Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the Rules issued thereunder and following the Transfer/Retirement/ Completion of Tenure of some of the earlier members, the Internal Complaints Committee of this office is reconstituted as hereunder:

S. No.	Name of the Officer	Designation	Role in the Committee
1	Smt. Meghaa Gupta	Joint Director	Chairperson
2	Smt. C. Suba Sankari	Deputy Director	Member
3	Smt. Anuradha Ramesh	Assistant Director	Member
4	Shri. Subhash Pareek. B	Addl. Asst. Director	Member
5	Shri. N.S. Lokeshwaran	Addl. Asst. Director	Member
6	Smt. D. Suganya	Addl. Asst. Director	Member
7	Smt.C.J. Sethu Lakshmi	Program Lead- YRG Foundation; Vice President:The Suniti Solomon Foundation	Member- External

2. The Committee shall deal with complaints of sexual harassment made by women in the workplace and shall discharge the functions of the Committee specified in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the Rules made thereunder.

3. As per the provisions of Section 9 of the Act, *ibid*, inter-alia any aggrieved women may make, in writing, a complaint of sexual harassment at workplace to the Internal Committee within a period of 3 (Three) months from the date of incident and in case of series of incidents within a period of 3 (three) months from the date of incident.

4. The committee shall prepare in each calendar year a report in terms of Section 21 read with Rule 14 of the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and submit the same to the Additional Director General, NACIN, Chennai.

5. The members of the Committee shall hold office until completion of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

This is issued with the approval of the Additional Director General.

Digitally signed by
Sujatha Rao Giriraj Udupa
Date: 29-07-2025
14:03:34
ASSISTANT DIRECTOR

29-07-2025

Copy to

- 1.Principal Director General, NACIN, Palasamudram.
- 2.Additional Director General, NACIN, Chennai.
3. All members of the Committee.